


बी०एस०एन०वी०पी०जी० कालेज, लखनऊ
छात्रवृत्ति सम्बन्धी विशेष सूचना

1. मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, इसाई, बौद्ध वर्ग के समस्त अभ्यर्थी अल्पसंख्यक (Minority) वर्ग में आवेदन करें। अन्य वर्ग में किये गये आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन करते समय उनके द्वारा लिये गये विषय में प्रवेश (रेगुलर एवं सेल्फ फाइनेन्स) को ध्यान से फार्म पर भरें।
3. बी०काम, एग०ए० एवं एम०ए०स०सी० के छात्र/छात्रायें सेल्फ फाइनेन्स में आवेदन करें एवं जिन छात्र/छात्राओं ने बी०ए०स०सी० सेल्फ फाइनेन्स में प्रवेश लिया है वे सेल्फ फाइनेन्स में ही आवेदन करें।
4. छात्र/छात्रायें आवेदन करते समय अंकतालिका एवं बैंक में दिये गये नाम के आधार पर ही आवेदन करें।
5. यदि छात्र/छात्रा का खाता ऐसी बैंक शाखा में है जिसका विलय अन्य किसी बैंक में हो गया है तो सम्बन्धित बैंक से सम्पर्क कर ही अपना खाता संख्या भरें तथा पूर्व में ऐसे अभ्यर्थियों जिनके द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया गया है और उनकी बैंक शाखा का विलय अन्य किसी बैंक में हो गया है वह अपने खाता संख्या को सम्बन्धित विभाग में सम्पर्क कर दर्ज करायें।
6. आवेदन करते समय अपने सम्बन्धित कोर्स का विशेष ध्यान रखें।
7. आवेदन करते समय फीस/आधार संख्या/खाता संख्या एवं अन्य का विवरण सही-सही भरें।
8. छात्र/छात्रायें अपने बैंक खाते की पास बुक की साफ फोटो कापी छात्रवृत्ति आवेदन फार्म के साथ संलग्न करें।
9. छात्रवृत्ति फार्म आन लाइन आवेदन करने के उपरान्त उसकी एक प्रति महाविद्यालय छात्रवृत्ति काउन्टर पर तुरन्त जमा करें एवं एक प्रति भविष्य में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।
10. छात्र/छात्रायें अपने बचत खाता जो संचालित अवस्था में हो में न्यूनतम धनराशि अवश्य रखें। साथ ही अपनी के.वाई.सी. अपडेट रखें।
11. आवेदन फार्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
12. छात्रवृत्ति अभ्यर्थियों के खातों में शासन द्वारा सीधे आन लाइन स्थानान्तरित होती है प्राप्त न होने की दशा में सम्बन्धित विभाग जैसे- कार्यालय, जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ एवं कार्यालय, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, लखनऊ तथा कार्यालय, जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित करें।

दिन: 16.07.2021

आज्ञा से
प्राचार्य

PRINCIPAL
B.S.N.V.P.G. COLLEGE
LUCKNOW-226001

बी० एस० एन० वी० पी० जी० कालेज, लखनऊ


छात्रवृत्ति आवेदन सम्बन्धी आवश्यक सूचना (Renew)

1. सत्र 2021-22 के द्वितीय वर्ष (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर) एवं तृतीय वर्ष (पंचम सेमेस्टर एवं षष्ठम सेमेस्टर) के छात्र/छात्रायें जो छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करना चाहते हैं वह अपने पुराने रजिस्ट्रेशन नम्बर पर ही आवेदन करें।
2. जिन अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुयी हो वह भी अपने आवेदन (नवीनीकरण) पुराने रजिस्ट्रेशन नम्बर पर ही करें।
3. जिन अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुयी हो वह धनराशि के कॉलम में शून्य भरे व जिन्हें प्राप्त हो गयी हो वह धनराशि भरें।
4. द्वितीय वर्ष के उत्तीर्ण छात्र अपने दोनों सेमेस्टर के प्राप्त अंकों को जोड़कर ही भरें।
5. अभ्यर्थी द्वारा आन लाईन भरा गया फार्म प्रिन्ट आउट के साथ आवेदन की तिथि से तीन दिन के अन्दर निम्नलिखित पत्रजातों सहित छात्रवृत्ति काउन्टर पर जमा करें—
 - (क) पिछली कक्षा की उत्तीर्ण (प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर) की अंकतालिका मूल की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
 - (ख) वर्तमान कक्षा की फीस रसीद की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
 - (ग) बैंक पास बुक अपडेटेड की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
 - (घ) छात्र रवयं के आधार की छायाप्रति।
 - (च) दोनों सेमेस्टर में उत्तीर्ण छात्र ही आवेदन करें। बैंक पेपर के छात्र आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
 - (छ) अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्रायें पिछले वर्ष प्राप्त छात्रवृत्ति का नेट से प्राप्त विवरण संलग्न करें।
6. यदि छात्र/छात्रा का खाता ऐसी बैंक शाखा में है जिसका विलय अन्य किसी बैंक में हो गया है तो सम्बन्धित बैंक से सम्पर्क कर ही अपना खाता संख्या भरें तथा पूर्व में ऐसे अभ्यर्थियों जिनके द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया गया है और उनकी बैंक का विलय अन्य किसी बैंक में हो गया है वह अपने खाता संख्या को सम्बन्धित विभाग में सम्पर्क कर दर्ज करायें।

नोट:-

1. आन लाईन आवेदन करने हेतु वेब साइट <https://scholarship.up.gov.in/> पर लिंक करें।
2. वेब साइट दिनांक 21.10.2021 (अंतिम तिथि) की रात्रि 12:00 बजे तक खुली रहेगी।
3. मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, इसाई, बौद्ध वर्ग के समस्त अभ्यर्थी अल्पसंख्यक (Minority) वर्ग में आवेदन करें। अन्य वर्ग में किये गये आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. शासन द्वारा उपरोक्त निर्धारित तिथि के उपरान्त दी गयी वेब साइट पर आवेदन करना सम्भव नहीं होगा।
5. छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि कृपया अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए तत्काल फार्म जमा करें।

दिन: 16.07.2021


PRINCIPAL
B.S.N.V.P.G. COLLEGE
LUCKNOW-226001
आज्ञा से
प्राचार्य

10. यदि छात्र/छात्रा का खाता ऐसी बैंक शाखा में है जिसका विलय अन्य किसी बैंक में हो गया है तो सम्बन्धित बैंक से सम्पर्क कर ही अपना खाता संख्या भरें तथा पूर्व में ऐसे अभ्यर्थियों जिनके द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया गया है और उनकी बैंक का विलय अन्य किसी बैंक में हो गया है वह अपने खाता संख्या को सम्बन्धित विभाग में सम्पर्क कर दर्ज करायें।
11. अभ्यर्थी अपना खाता संख्या एवं IFSC कोड को ध्यानपूर्वक एवं सही भरें।
12. अभ्यर्थियों के खातों के संचालन में किसी भी प्रकार की समस्या होने अथवा छात्रवृत्ति स्थानान्तरित न होने की दशा में महाविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
13. जिन छात्र/छात्राओं के भाई—बहन एक ही संस्था में या अन्य संस्था में अध्ययनरत हैं (किसी भी कक्षा में) वह प्रत्येक के अलग—अलग आय प्रमाण पत्र जिनके क्रमांक भी अलग—अलग हों जाएं।
14. जिन अभ्यर्थियों का निवास एवं जाति प्रमाण पत्र पुराना है, जो वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है वह मान्य नहीं है।

नोट:-

1. सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जिनके इण्टरमीडिएट में 60 प्रतिशत अंक एवं अन्य वर्ग के अभ्यर्थी जिनके अंक 45–50 प्रतिशत से कम हैं वह आवेदन न करें।
2. आन लाईन आवेदन करने हेतु वेब साइट <https://scholarship.up.gov.in/> पर लिंक करें।
3. वेब साइट दिनांक 21.10.2021 (अंतिम तिथि) की रात्रि 12:00 बजे तक खुली रहेगी।
4. मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, इसाई, बौद्ध वर्ग के समस्त अभ्यर्थी अल्पसंख्यक (Minority) वर्ग में आवेदन करें। अन्य वर्ग में किये गये आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. शूप्तन द्वारा उपोक्त निर्धारित तिथि के उपरान्त दी गयी वेब साइट पर आवेदन करना सम्भव नहीं होगा।
6. आवेदन फार्म को आन लाईन भरते समय सावधानी पूर्वक भरें क्योंकि गलत प्रविष्टि करने पर फार्म लॉक हो जायेगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे क्योंकि आप द्वारा आँन लाईन भरे हुए आवेदन फार्म को महाविद्यालय द्वारा केवल फारवर्ड करने की सुविधा ही शासन द्वारा प्रदान की गयी है।
7. अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण भरे गये आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।

दिन: 16.07.2021

आज्ञा से
प्राचार्य

Renu
PRINCIPAL
B.S.N.V.P.G. COLLEGE
LUCKNOW-226001

बी०एस०एन०वी०पी०जी० कालेज, लखनऊ

छात्रवृत्ति आवेदन सम्बन्धी आवश्यक सूचना

1. सत्र 2021-22 के समस्त छात्र/छात्रायें जो छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करना चाहते हैं उनके माता-पिता/अभिभावक या स्वयं की आय रु० 2,00,000/- (रुपया दो लाख मात्र) एवं SC/ST की रु० 2,50,000/- (रुपया दो लाख पचास हजार मात्र) से ज्यादा न हो।
2. छात्रवृत्ति फार्म छात्र स्वयं या किसी भी साइबर कैफे के माध्यम से आन लाईन वेब साइट <https://scholarship.up.gov.in/> पर लिंक कर भरें अन्य किसी भी माध्यम से फार्म स्वीकार नहीं किये जायें।
3. अभ्यर्थी आवेदन-पत्र को आन लाईन भरते समय पूर्ण सावधानी रखें। त्रुटिपूर्ण आवेदन फार्म का प्रिंट निकालने के उपरान्त दोबारा फार्म नहीं भरा जा सकेगा और न ही गलती को सुधारा जा सकेगा। शासना द्वारा गलत भरे हुए आवेदन फार्म में करेक्शन करने की सुविधा समाप्त कर दी गयी है।
4. किसी भी कक्षा में फेल होने एवं कोर्स बदलने वाले छात्र/छात्रायें आवेदन न करें।
5. रिन्यू करने वाले अभ्यर्थी रिन्यू ही करें नये आवेदन न करें अन्यथा नया फार्म रिजिट हो जायेगा। रिन्यू करने वाले अभ्यर्थी अपना आधार नम्बर एवं इनरोलमेंट नम्बर (आपकी अंकतालिका में है) भरें।
6. बैंक ऑफ बड़ौदा, चारबाग, लखनऊ शाखा का **IFSC Code – BARB0CHARBA** है।
7. छात्रवृत्ति हेतु आन लाईन आवेदन के समय अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन नम्बर रखतः निर्गत होगा जिसके आधार पर अभ्यर्थी अपना आवेदन करेगा साथ ही भविष्य में किसी भी जानकारी हेतु सम्पर्क करेगा।
8. अभ्यर्थी द्वारा आन लाईन भरा गया फार्म प्रिन्ट आउट के साथ आवेदन की तिथि से तीन दिन के अन्दर निम्नलिखित पत्रजातों सहित छात्रवृत्ति काउन्टर पर जमा करें-
 - (क) आय प्रमाण पत्र मूल रूप में (यदि तीन वर्ष के लिये मान्य लिखा है तो वेब साइट से जॉच की गयी प्रति संलग्न करें।)
 - (ख) जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति (वेब साइट से जॉच की गयी प्रति संलग्न करें) सामान्य जाति के अभ्यर्थियों हेतु लागू नहीं है।
 - (ग) शपथ पत्र (रु० 10/- के स्टैम्प पर) मूल रूप में (प्रोफार्मा नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है)।
 - (घ) हाईस्कूल अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
 - (च) इण्टरमीडिएट अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
 - (छ) फीस रसीद की स्वप्रमाणित छायाप्रति
 - (ज) बैंक पास बुक की स्वप्रमाणित छायाप्रति
 - (झ) अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्रायें 10वीं व 12वीं कक्षा की सर्च डिटेल लगाना अनिवार्य है।
 - (ट) अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्रायें अपने निवास व सत्यापन की प्रति संलग्न करें।
9. छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना बचत खाता खोलें। जिन अभ्यर्थियों के बचत खाते पहले से खुले हैं वह मान्य हैं। अपने खातों को समय-समय पर अपडेट करते रहें। साथ ही **KYC** फार्म एवं आधार से अपना बैंक खाता को अवश्य जोड़ें।

(Ran).
PRINCIPAL
B.S.N.V.P.G. COLLEGE
LUCKNOW-226001

बी०एस०एन०वी०पी०जी० कालेज, लखनऊ

बैंक खाता खोलने सम्बन्धी आवश्यक सूचना

उन छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि, जो छात्रवृत्ति प्राप्त करने के इच्छुक हैं और पात्र हैं वे अपना खाता लखनऊ के किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक में खुलवा ले या जिनका खाता लखनऊ शहर में किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक में है वह मान्य है।


खाता खुलवाने हेतु निम्नलिखित प्रमाण पत्रों का (बैंक द्वारा जो लागू हो) होना आवश्यक है।

1. कालेज के परिचय पत्र की छायाप्रति।
2. पासपोर्ट की छायाप्रति।
3. निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
4. ड्राईविंग लाइसेन्स की छायाप्रति।
5. वोटर कार्ड की छायाप्रति।
6. आधार कार्ड की छायाप्रति।
7. राशन कार्ड की छायाप्रति (जिसमें छात्र/छात्रा का नाम हो)
8. बिजली बिल की छायाप्रति (जिसमें छात्र/छात्रा का नाम हो)
9. टेलीफोन बिल की छायाप्रति (जिसमें छात्र/छात्रा का नाम हो)

नोट:- जनधन खाते का प्रयोग छात्रवृत्ति हेतु न करें। छात्र/छात्रायें अपना बचत खाता खोलें एवं अपनी के.वाई.सी. को मेनटेन करें।

(केवल लखनऊ शहर के बाहर रहने वाले छात्रों के लिये सुविधा है, लखनऊ में रहने वाले छात्र स्वयं खाता खुलवाने हेतु बैंक शाखा से सम्पर्क करें।)

दि: 16.07.2021


आज्ञा से
प्राचार्य
PRINCIPAL
B.S.N.V.P.G. COLLEGE
LUCKNOW-226001